

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
छत्तार प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1571

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

--कार्यालय ड्राप--

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिकी कानूनिकल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विभागीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, छत्तार लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, छत्तार लखनऊ की अध्यक्षता में बहुराज्यीय कार्यलय में बैठक संलग्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं, को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता वृद्धि सहित आंक मती पर विचार कराते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक की मर-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रमाणन संकट गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श कर निम्नका निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, छत्तार लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआई द्वारा उन्हें मध्यावक अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार उनके नाम के सम्मुख अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश समता को साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआई द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आरूढ सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, छत्तार लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अखिल प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित वर्षस समता	पीसीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता
1	1258	डी एम कॉलेज ऑफ फार्मसी, गिरी टाउन टाटा एस्टेट्स-2 दुबई, किरावापुर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीसीआई/पीसीआई द्वारा नियमित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था छत्तार प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982, संशोधित विनियमवाली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंडिया पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- अतिरिक्त, दो वर्षीय कार्मिकी पाठ्यक्रम हेतु रु० 48,000.00/- अतिरिक्त एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मिकी पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500/-

कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश हाउसिंग

संख्या - उत्तरिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3837

संलग्नक दिनांक 09/08/2021

कार्यालय जवाब

अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राजकीय आरक्षित और अधिव्य, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय राजकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संस्थाओं से सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान किया जाने हेतु दिनांक- 18/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जेंट नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विवरण- फलसंगत/ प्रवेश क्षमता कृति सहित अन्य मटी पर विचार करती हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संलग्न ओ प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश हाउसिंग द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं कुलमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विवरण प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1268-SRAM COLLEGE OF PHARMACY, NEAR TOLL TAX NH2 TUNDLA, FAOZABAD-281204

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विनियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त), हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। कुलशुल्क के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले मानकभेद प्रभावी होंगे और सहस्रवार जांच/जाही किया जाना आवश्यक होगा। परिषद निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्विचारण किया जाता है, जो प्रवेश को नवीन्तम दर्े लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समिति) तथा हुए समिति, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाये, विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के निष्का रद्द करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय का निरंतर मानकभेद के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० में अगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कृति एवं वि०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/विनियमवली/विनियमवली/विनियमवली/विनियमवली एवं निर्देश, प्राविधिक शिक्षा

संवि. प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या- प्राविधिकपरिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संख्यानङ्क- दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय भाग-1

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा सारीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० राजधानी से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निर संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राजधानी द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1258-SHAM COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गल शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्वी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गल किये जाने वाले शासनादेशों प्रभावी होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गल शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गल विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों,